FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ..... जिला कलक्टर, बाड़मेर ..... मुकाम ..... बाड़मेर

..... कृष्णाराम व अन्य ..... बनाम ..... अप्रार्थी नारणाराम व अन्य

किस्म मुकदमा ..... नं. ..... सन् 01/2024

राजस्व आवेदन धारा 235, राज. काश्तकारी अधि. 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-01-24	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के न्यायालय में विचाराधीन आवेदन संख्या 194/2023 अनवान नारणाराम व अन्य बनाम कृष्णाराम व अन्य को किसी अन्य सहायक कलक्टर न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अंकित किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थीगण को सुने मौका रिपोर्ट तलब करने का आदेश दे दिया और प्रथम पेशी पर ही तहसीलदार ने पक्षकारान से मिलकर गलत मौका रिपोर्ट बनाकर पत्रावली में पेश कर दी गई हैं, इससे पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर संदेह में तथा विप्रार्थीगण को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, इसलिये उक्त पत्रावली को किसी अन्य राजस्व न्यायालय को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक हो गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को जानबूझकर लम्बित करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती को लेकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमे समस्त तथ्यो को प्रथमदृष्ट्या मानते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई है। इसकी अनुपालना में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा भी मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण के समय उपस्थित रहने हेतु बुलाया गया था किंतु वे जानबूझकर उपस्थित नही हुए तथा न्यायालय मे भी बार–बार पेशी आगे लेकर मामले को अनावश्यक लम्बा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का यह	

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा हैं कि कार्यवाही एकपक्षीय हो रही हों, बल्कि अप्रार्थीगण के जवाब हेतु विचाराधीन हैं। जहां तक मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रश्न हैं तो तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना–पत्र में मौका रिपोर्ट मेरिट पर निर्णय में सहायक होती हैं, ऐसे में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश से न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से दूषित हुई हैं, अधिवक्ता प्रार्थीगण साबित नहीं कर पाये हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र महज कयासों एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निस्तारण करें। यह प्रार्थना–पत्र दर्ज होकर निर्णय शुमार हों तथा आदेश से अधीनस्थ न्यायालय सूचित हों। जिला कलक्टर बाड़मेर	